वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी) लघु सड़क परिवहन परिचालकों (एस आर टी ओ) को शत-प्रतिशत पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। उधारकर्ताओं को वाहन की कम से कम 15 प्रतिशत लागत वहन करनी होती है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसी लागत का 85 प्रतिशत अथवा उससे कम ही उपलब्ध कराते हैं। तथापि, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) लघु सड़क परिवहन परिचालकों को मंजूर किए जाने वाले ऋण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 100 प्रतिशत पुनर्वित सुविधा उपलब्ध कराता है।

(ख) वर्ष 1993-94 (राज्य वार) के दौरान नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता से आरआरबी द्वारा वित्तपोषित एस आर टी ओ एककों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है :-असम-55, मिजोरम-30 बिहार-11, उड़ीसा-56, पश्चिम बंगाल-2, मध्य प्रदेश-30, हरियाणा-101, हिमाचल प्रदेश-61, जम्मू एवं कश्मीर-15. पंजाब-1 राजस्थान-15, उत्तर प्रदेश-19, गुजरात-118, महाराष्ट्र-21, आन्ध्र प्रदेश-35, कर्नाटक-171, केरल-44 और तमिलनाडु-2

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि योजना के अन्तर्गत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित सहायता स्वतः आधार पर उपलब्ध कराई जाती है और नाबार्ड वित्त पोषित बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन पर विश्वास करता है। बैंकों को प्रस्तावों की वित्तीय अर्थक्षमता और उद्देश्य की प्रमाणिकता, उधारकर्ताओं की ऋण साख आदि के बारे में अपने आप को संतुष्ट करना होता है। आवेदन पर आवश्यक प्रक्रिया के बाद, बैंक द्वारा ऋण मंजूर किया जाता है, ऋण का संवितरण उधारकर्ता द्वारा आवश्यक ऋण दस्तावेजों के पूरा करने के बाद ही किया जाता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वसूल की गई बकाया राशि

971. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने वाली एककों से बकाया के रूप में एक बड़ी राशि वसूल की जानी है ;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 93 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार स्थिति क्या है और वह राशि कुल ऋण की कितने प्रतिशत है ;

(ग) सरकार ने बकाया राशि की शीघ्र वसूली के लिए क्या प्रयास किये हैं ; और

(घ) इस संबंध में शीघ्र वसूली हेतु और न्यायिक कार्यवाही हेतु क्या प्रयास किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विभिन्न योजनाओं में जमा राशि

972. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न लघु बचत योजनाओं, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की योजनाओं, राष्ट्रीय बचत योजनाओं और विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि का योजना-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) किन-किन वित्तीय संस्थाओं ने गुजरात सरकार को वित्तीय सहायता दी है और उक्त सहायता किन शर्तों पर दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही और उसे सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

नायक समिति की सिफारिशें

973. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री राम जेठमलानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान लघु उद्योगों के संबंध में सुझाव देने के लिए नायक समिति का गठन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को नायक समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं ;

(ग) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र को दिए जाने वाले संस्थागत ऋणों की पर्याप्तता की जांच करने के लिए श्री पी० आर० नायक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। नायक समिति ने सितम्बर, 1992 में अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी थी।

(ग) और (घ) समिति ने कई सिफारिशें की थीं और इसकी लगभग सभी मुख्य सिफारिशों को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है और बैंकों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निम्नलिखित परामर्श दिया है :—

(i) उन लघु उद्योगों को, जिनकी ऋण सीमा अलग-अलग मामले में एक करोड़ रुपए से कम है उनके अनुमानित वार्षिक कारोबार के न्यूनतम 20% के आधार पर परिकलित कार्यशील पूंजी ऋण सीमा मंजूर करना।

(ii) इस क्षेत्र की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते समय ग्रामोद्योगों, अत्यंत लघु उद्योगों और अन्य लघु उद्योग एककों को उसी क्रम में वरीयता देना।

(iii) निचले स्तर (बाटम अप) वार्षिक बचत तैयार करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लघु उद्योगों की विधिसम्मत आवश्यकताओं को आठवीं पंच वर्षीय योजनावधि के दौरान पूर्ण रूप में पूरा किया जाता है।

(iv) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एकल खिड़की योजना का सभी जिलों में लागू करना।

(v) यह सुनिश्चित करना कि लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की मंजूरी और संवितरण में कोई देरी न हो।

(vi) बैंकों को ऋण सीमाओं को मंजूर करने के लिए मुआवजे के रूप में अनिवार्य जमाराशियों पर जोर नहीं देना चाहिए।

(vii) विशेषज्ञ लघु उद्योग शाखाएं खोलना अथवा उन शाखाओं को विशेषज्ञ शाखाओं में परिवर्तित करना जिनके पास लघु उद्योग उधार खातों की संख्या काफी अधिक है।

(viii) अर्थक्षम ऋण एककों की पहचान की जानी चाहिए और उनको पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए शीघ्र कारवाई की जानी चाहिए।

(ix) ऋणों के लिए आवेदन करने के वास्ते लघु उद्योग एककों द्वारा प्रो